न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 29/2018 (उदयपुर डिक्री)

मानसिंह पिता स्वर्गीय श्री जोधसिंह जी भाटी (राजपूत), निवासी सरे, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, फास्टट्रेक गिर्वा
दिनांक 12.06.2017 प्र.सं. 585/2013

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री के.एल. सिंघवी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 12–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरे में आराजी नंबर 2034 मी. कुल रकबा 4.8350 में से 3 बीघा भूमि वादी को दिनांक 12–12–1978 को आवंटित होकर उसे मौके पर कब्जा सिपुर्द किया गया, तब से वादी निरन्तर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, किन्तु राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने पर उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि बिलानाम सरकार अंकित कर दी गयी है, जबकि 34 वर्षो से उसका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 2034 मी. में से 3 बीघा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन कराया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 12–06–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे

रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14–02–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन देरी के कारणों को उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया एवं ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत में करीब 6 माह का विलम्ब हुआ है, किन्तु प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि दिनांक 15–12–1971 को विवादित भूमि उसे आवंटित की जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया जिसका नामान्तरकरण भी नियमानुसार दिनांक 29–12–1978 को खोला गया। अपीलान्ट का पिछले 35 वर्षो से निरन्तर आवंटित भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने कैम्प में अपीलान्ट/वादी को बिना सुने वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा वाद में चाही गयी दाद अपीलान्ट को दिलायी जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बताया कि राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम दर्ज है, जिस पर अपीलान्ट का कभी कब्जा नहीं रहा। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि हालांकि अधिनस्थ न्यायालय से राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है, किन्तु कैम्प में वादी/अपीलान्ट उपस्थित थे एवं उन्होंने स्वयं यह माना है कि आवंटित भूमि पर उनका कब्जा नहीं होकर

दूसरे नंबर की भूमि पर है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार की रिपोर्ट, जो तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी को दिनांक 05–02–2016 को प्रस्तुत की गयी है, से भी होती है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलान्ट का वाद खारिज किये जाने में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

मानसिंह पिता स्र्व0 जोधसिंह जी, भाटी (राजपूत), निवासी सरे, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर**

अपील नं.....**29 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**फास्ट ट्रेक गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**12**.....माह.....**06**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.....**03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री के. एल. सिंघवी**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–06–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**03**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:56:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: